

हितलाभ प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा

क्रं. सं.	दावा का प्रकार	शाखा कार्यालय में दावा प्रस्तुती हेतु समय सीमा
1.	आश्रित हितलाभ (डीबी)	आश्रित हितलाभ (डीबी) के अंतिम दावे की तारीख से 1 वर्ष के भीतर
2	अस्थायी अपंगता हितलाभ (टीडीबी)	दुर्घटना के ठीक होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर
3	स्थायी अपंगता हितलाभ (पीडीबी)	स्थायी अपंगता हितलाभ (पीडीबी) के दावे की अंतिम तिथि से 1 वर्ष के भीतर
4	बीमारी हितलाभ (एसबी)	स्वस्थ होने (फिटनेस) की तारीख से 1 साल के भीतर
5	विस्तारित बीमारी हितलाभ (ईएसबी)	बीमारी हितलाभ के पूरा होने के 1 वर्ष के भीतर
6	वर्धित बीमारी हितलाभ (परिवार नियोजन)	पुरुष नसबंदी/ट्यूबेक्टॉमी की तारीख से 1 वर्ष के भीतर
7	मातृत्व हितलाभ (एमबी)	प्रसूति/गर्भपात की तारीख से 1 वर्ष के भीतर
8	प्रसूति व्यय	प्रसूति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर
9	अन्त्येष्टि व्यय	मृत्यु की तारीख के 3 महीने के भीतर
10	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई)	बेरोजगारी की तिथि से 1 वर्ष के भीतर
11	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा (एमआरसी)	डिस्चार्ज होने की तारीख से 01 वर्ष के भीतर क रा बी संबद्ध औषधालय में जमा किया जाना है।